N.O./Dir. P.H./

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकःप.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020

दिनांकः 23.03.2020

आदेश

विश्व स्वास्थ्य सगंठन तथा सयुंक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा इससे उत्पन्न स्थिति के परिपेक्ष्य में राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.03.2020 के द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 22.03.2020 से 31.03.2020 तक आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित विभागों को छोड कर समस्त सरकारी कार्यालय पूर्णतः बन्द रखे जाने के निर्देश प्रदान किये गये है।

उक्त आदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित किया गया है। इस सम्बध में स्थिति का आंकलन कर यह स्पष्ट किया जाता है कि चिकित्सा, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण निदेशालय में कार्यरत कर्मचारियों की प्रतिदिन कार्यालय में उपस्थिति 50 प्रतिशत रोटेशन के आधार पर सुनिश्चित की जावें, तथा सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष एवं नियंत्रण अधिकारी जिन कर्मचारियों की विशेष आवश्यकता हो उनको चिन्हित कर कार्यालय में उपस्थिति होने हेतु पाबन्द करें। उक्त व्यवस्था से आवश्यक राज कार्य प्रभावित नही होना भी सुनिश्चित किया जावें।

इस दौरान किसी भी सरकारी कार्मिक को विशेष या अपरिहार्य स्थिति के अलावा कोई अवकाश या मुख्यालय छोडने की अनुमति नही दी जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. मिशन निदेशक, एमएचएम, मुख्यालय।
4. प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससीएल, मुख्यालय।
5. निदेशक (आरसीएच/एड्स), मुख्यालय।
6. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन/चिप्र/राजपत्रित/आरसीएच/ग्रामीण स्वास्थ्य), मुख्यालय।
7. औषधि नियंत्रक, राजस्थान
8. समस्त अनुभाग प्रभारी अधिकारी, निदेशालय।
9. हाउॅस–किपींगं ऑफिसर/केयरटेकर,/नोटिस बोर्ड, मुख्यालय
10. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

शासन उप सचिव

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner